Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर
कदीर खां बनाम मन्सूर खां वगै0

अपील संख्या 138/25 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO 2025/186

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.26	अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु बंसल उपस्थित। रेस्पो0 की ओर से श्री अब्दुल लतीफ अधिवक्ता उप0/उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस अपील पर सुनी गई। अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी एक्ट का पेश किया गया था। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.6.24 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया। जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु अपीलांट/प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 9 सीपीसी का पेश कर दावा वादी पुनःनम्बर पर लेकर गुणावगुण आधार पर निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। अपीलांट अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व रूप से प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 9 सीपीसी खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह लिखते हुए खारिज किया है कि बहस मे अधिवक्ता द्वारा वादी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति का कोई सही कारण साबित करने मे असमर्थ रहे है ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया है कि अन्य न्यायालय मे कौनसे मुकदमे मे पैरवी कर रहे थे। जबकि अपीलांट/प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपीलांट/प्रार्थी के अधिवक्ता वक्त आवाज दिनांक 10.6.24 को दीगर मुकदमे मे दीवानी न्यायालय मे व्यस्थ थे। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय मे बहस हेतु उपस्थित नही हो सके। अपीलांट/प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया गया था। अदम हाजरी अदम पैरवी मे दावा खारिज होने से पक्षकारो के वादग्रस्त आराजीयात बाबत हक एवं अधिकारो का निर्धारण नही हो सकता है। वाद पत्र के अंतिम निस्तारण पर ही पक्षकारो के हक एवं अधिकारो का निर्धारण होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत जैर अपील आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर दावा वादी पुनः नम्बर पर लेने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे। रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपीलांट के कथन पर अपनी सहमति प्रकट की एवं सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये। बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी दिनांक 10.6.24 को अदम हाजरी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अदम पैरवी मे खारिज किया था। जिसे पुनःनम्बर पर लेने हेतु प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 9 सीपीसी पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया का अवलोकन किये प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन खारिज किया गया है। पक्षकारो के हक एवं अधिकारो का निर्धारण वाद पत्र के अतिम निस्तारण पर साक्ष्य के उपरान्त तय हाते है। अदम हाजरी अदम पैरवी मे वाद पत्र खारिज किया जा सकता है परन्तु उसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु विधिक तथ्यो को देखा जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा भी दावा वादी पुनःनम्बर पर लेने हेतु अपनी सहमति प्रकट की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं रेस्पो0 के अधिवक्ता की सहमति से अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को दावा पुनःनम्बर पर लेकर गुणावगुण आधार पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 19/24 मे पारित निर्णय दिनांक 31.7.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से सबंधित मूल दावा संख्या 4/21 उनवानी कदीर खां बनाम मन्सूर वगै0 दावा अन्तर्गत 88,188 आर टी एक्ट को पुनःनम्बर पर लिया जाकर प्रकरण का विधि अनुसार गुणावगुण आधार पर निस्तारण करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनरस्थ न्यायालय मे दिनांक 20.2.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner